15

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या : 2025/223**

1. हंसराज आत्मज प्रहलाद मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
2. राधेश्याम आत्मज प्रहलाद मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)–मृतक के कायम मुकामान्–
   2/1 सुरेन्द्र आत्मज राधेश्याम मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
   2/2 नरेन्द्र कुमार आत्मज राधेश्याम मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
   2/3 सोनू कुमार आत्मज राधेश्याम मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
   2/4 प्रीति पुत्री राधेश्याम मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
   2/5 जशोदा पुत्री राधेश्याम मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

––अपीलान्टगण

**बनाम**

1. भंवरलाल आत्मज प्रहलाद मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
2. रामचरण आत्मज प्रहलाद मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)–मृतक के कायम मुकामान्–
   2/1 सुमित्रा बाई विधवा स्व0 रामचरण निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)
   2/2 शिवराज पुत्र स्व0 रामचरण निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)
   2/3 विमला बाई पुत्री स्व0 रामचरण निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री रमेशचन्द जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री आदित्य भण्डारी, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 03 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक: 20.11.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर बूंदी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 164/सीलिंग/2008 बउनवान सरकार बनाम प्रहलाद मीणा में पारित निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 के विरूद्ध पेश की गई ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय दिनांक 17.12.1974 पारित किया गया जिसके अनुसार भूमि धारक की 68 बीघा 5 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने तथा शास्ति आरोपित किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 17.12.1974 के विरूद्ध नन्दा आत्मज माधो की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.1975 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अधिग्रहण का आदेश यथावत रखते हुए शास्ति को निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जो न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 03.09.1976 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मृतक भूमिधारी के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर एवं सुना जाकर निर्णय पारित किया जावे। शासन उप सचिव राजस्व विभाग जयपुर के आदेश कमांक प. 8(8)राज./ग्रुप–8/2008 जयपुर दिनांक 26.05.2008 के द्वारा प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय से न्यायालय अतिरिक्ति जिला कलक्टर "सीलिंग" बून्दी के न्यायालय में प्रेषित की गई। न्यायालय अतिरिक्ति जिला कलक्टर "सीलिंग" बून्दी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर "सीलिंग" बून्दी द्वारा दिनांक 30.03.2012 को भूमिधारी के पास पुराने सीलिंग नियमों के अन्तर्गत भूमिधार के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि पाये जाने से भूमिधारी की 04.04 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि सरप्लस घोषित किए जाने का निर्णय पारित किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बूंदी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 164/सीलिंग/2008 में पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 को खारिज फरमाया जावे।

4. अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 तथा 03 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण के पूर्वज माधो आत्मज गणेश जाति मीणा निवासी गोगपुरा तहसील व जिला बून्दी के विरूद्ध पुराने सिलींग एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जिसके अनुसार माधों जी को खातेदार मानते हुए उनके खाते में 128 बीधा 5 बिस्वा भूमि होना मानकर उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट बून्दी ने अपना निर्णय दिनांक 17/12/1974 को पारित करते हुए खातेदार के पास 68 बीघा 5 बिस्वा भूमि अधिशेष घोषित करते हुए सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के आदेश प्रदान किये। उक्त निर्णय दिनांक 17.12.1974 के विरूद्ध भूमिधारी द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 27/6/1975 द्वारा खारिज की गई । राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 27.06.1975 के विरूद्ध माधो जी के कायम मुकाम नन्दा के द्वारा एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत कि गई। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त निगरानी में दिनांक 3/9/1976 को निर्णय पारित करते हुए इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट बून्दी के न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया कि मृतक भूमिधारी के समस्त वारिसान को नोटिस दिया जाकर दोबारा से प्रकरण का निस्तारण किया जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी से प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेश क्रमाक प.8(8) राज/ग्रुप–8/2008 दिनांक 26/5/2008 कि पालना मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिग बून्दी के न्यायालय में स्थानान्तरण कि गई। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिंग बून्दी द्वारा दिनांक 30/2/2012 को निर्णय पारित करते हुए कुल 128 बीघा 5 बिस्वा भूमि को 39.4 स्टेण्डर्ड एकड मानते हुए एवं भूमिधारी के परिवार में छः सदस्यो पर 35 स्टेण्डर्ड एकड भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए 4.4 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिशेष घोषित करते हुए सिलींग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान कर दिए। यहाँ यह तथ्य भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नये सिलींग एक्ट के अन्तर्गत नियम 4(2) को देखते हुए नये सिलींग एक्ट के अन्तर्गत ही प्रकरण में निर्णय पारित किया है तथा नये सिलींग एक्ट में भूमिधारी के पास कोई अधिशेष भूमि होना नहीं पाये जाने के आदेश अपने निर्णय में प्रदान किए है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि प्रश्नगत भूमि पेतृक थी। चूंकि गणेश के पुत्र माधो एवं माधो का पुत्र नन्दा तथा नन्दा का पुत्र भंवरलाल तथा

भंवरलाल के 7 पुत्र एवं 7 पुत्रिया है इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से भी यह साबित होता है कि माधो के खाते की भूमि नन्दा को विरासत में प्राप्त हुई तथा नन्दा के पुत्र भवंरलाल रिकॉर्ड पर मौजूद है। यह भी स्पष्ट था कि माधो जी की मृत्यु 1/4/1966 के आठ वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी तथा नन्दा पुत्र व भंवरलाल पोत्र रिकॉर्ड पर मौजूद थे। माधो जी के खाते की राजस्व रिकॉर्ड नकल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मोजूद था तथा यह भी स्पष्ट था कि नन्दा का पुत्र भंवरलाल दिनांक 1/4/1966 को वयस्क हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को पेतृक नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भंवरलाल पुत्र नन्दा द्वारा अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये। परिवार के सदस्यों के विवरण हेतु नन्दा जी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। इन सभी दस्तावेजो को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वसनीय नही माना। अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए कि नकल जमाबन्दी के अनुसार भूमि माधो के नाम की है तथा भंवरलाल (पौत्र) पिता पर आश्रित है इस कारण संयुक्त परिवार से वयस्क पुत्र पैतृक सम्पति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी तो है परन्तु भूमि पैतृक न मानकर उसको पृथक युनिट न देकर त्रुटिपूर्ण निर्णय प्रदान किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सिलींग नियमो के एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान निर्णयों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 के आधार पर जिस प्रकार भूमि की गणना की है वह उचित नहीं है। अपीलान्टगण की भूमि की गणना निम्न प्रकार प्रस्तुत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने गलत टेबिल नम्बर के आधार पर जिस प्रकार स्टेण्डर्ड एकड की गणना की है वह सिलींग नियमों के विपरित होने से निरस्तनीय है। भूमिधारी के पास 128 बीघा 05 बिस्वा भूमि के आधार पर भूमि की गणना 29.868 स्टेण्डर्ड एकड के समकक्ष मानी जानी चाहिए थी। इस प्रकार भूमिधारी के पास सिलींग नियमों के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य कोई भूमि अधिशेष नहीं थी। प्रश्नगत भूमि पैतृक साबित होने के कारण नन्दा के पुत्र भवंरलाल एक युनिट भूमिधारीत करने का अधिकारी होता है। भंवरलाल को परिवार का सदस्य मानकर 5 स्टेण्डर्ड एकड भूमि शेयर (हिस्सा) रखने का अधिकारी मानकर जिस प्रकार निर्णय प्रदान किया है वह सिलींग प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि की गणना जिस वर्गीकरण के आधार पर की गई है उसे अगर मान भी लिया जावे तो भी भंवरलाल एक युनिट भूमि प्राप्त करने का अधिकारी होने के कारण कोई भूमि अधिशेष व अधिग्रहण योग्य नहीं होती है। क्योंकि दिनांक 01.04.1966 को रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के अनुसार भंवरलाल वयस्क था। चूंकि भूमि माधो जी के खाते की मानकर निर्णित की गई है, जिससे स्पष्ट है कि भंवरलाल वयस्क पौत्र दिनांक 1/4/1966 के आधार पर अलग से एक युनिट प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि भूमिधारी द्वारा खसरा सख्या 45 की 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रेमचन्द पुत्र सागर चन्द को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बैचान कर दी गई थी * इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बेचानशुदा भूमि को भी भूमिधारी के खाते में जोडकर निर्णय प्रदान करने में भारी भूल की है । जबकि उक्त बेचानशुदा भूमि

128–05 बिस्वा में से अलग की जाकर शेष भूमि को भूमिधारी के खाते में मानते हुए ही निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि पूर्व मे प्रकरण राजस्व मण्डल द्वारा निर्देशों के साथ उपखण्ड अधिकारी बून्दी को निर्णित करने हेतु भेजा गया था। ऐसे प्रकरणो को अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सिंलिगं बून्दी द्वारा निर्णित नही किया जा सकता था । चूकि प्रकरण पुराना सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत होने के कारण अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की सक्षम धारा के अर्न्तगत अपील की जा सकती है। इस कारण उक्त अपील को सुनने का अधिकार श्रीमान् के न्यायालय को प्राप्त है। यहॉ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सिंलिगं बून्दी को राज्य सरकार के रिओपन किये गये प्रकरणो को सुनने का अधिकार प्राप्त है न कि पुराने सिंलीग एक्ट के अर्न्तगत किये गये निर्णयो को निस्तारण करने का अधिकार है। यहा पर उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय बून्दी को स्पष्ट निर्देश के साथ निर्णय किये जाने हेतु भेजा था। इस कारण अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सिंलिग बून्दी का निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किए गए निर्णय की परिभाषा में आने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलान्टगण से जो 4.4 स्टे0 एकड भूमि के अधिग्रहण के आदेश दिये है उन्हे निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टउ कम 01 तथा विद्वान पेरोकार सरकार कम 03 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटगण ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रश्नगत भूमि माधो के पिता गणेश के खाते दर्ज रही हो। अपीलांटगण ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रश्नगत भूमि माधो आत्मज गणेश का निधन 01.04.1966 से पूर्व होना प्रमाणित होता हो। अपीलांटगण ने माधो की मृत्यु के सम्बंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है वह विश्वसनीय नहीं है। भंवरलाल की आयु के सम्बंध में जो दस्तावेज अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत किए गए है प्रमाणित दस्तावेज नहीं होने से विश्वसनीय नहीं है अतः भंवरलाल का पृथक युनिट मानने का आधार उपलब्ध नहीं होने से भंवरलाल केवल नन्दा परिवार के सदस्य की हैसियत से 5 स्टेण्डर्ड युनिट रखने का अधिकारी है। पुराने सिलिंग नियमो के अन्तर्गत भूमिधारी की 4.04 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सरप्लस धोषित होने योग्य है। अपीलांटगण का कथन रहा है कि प्रश्नगत भूमि में से खसरा संख्या 157 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि जर्ये विक्रय पत्र दिनांक कर दी है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 157 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार बाल्या, कल्याण झावरा मु.बि.क. दर्ज है अतः उक्त भूमि को जर्ये विक्रय–पत्र बेचान किया जाना संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने सिलिंग नियमों के अनुसार स्टेण्डर्ड युनिट की गणना विधि अनुसार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपील

अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत करके अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है जिस पर अपीलांटगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है, अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 से प्रभावित पक्षकार है। चूंकि अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को स्वयं की पैतृक आराजी होने तथा जन्म से हक अधिकार निहित होने का कथन किया गया है। अतः हमारे मत में अपीलांटगण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 से प्रभावित पक्षकार होना प्रतीत होता है। न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि प्रार्थीगण अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण उन्हें प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 को पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 09.10.2014 को पेश की गई है जो लगभग 37 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 228 के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत किए जाने की परिसीमा अवधि 60 दिवस निर्धारित की गई है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर विलम्ब से पेश की गई है। कानूनन प्रत्येक दिवस के विलम्ब का पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण बताया जाना आवश्यक है परन्तु प्रार्थी अपीलांट द्वारा 37 वर्ष विलम्ब से अपील पेश किए जाने का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः पर्याप्त कारण के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए 37 वर्ष के गंभीर विलम्ब को क्षमा किया जाना कानूनन उचित नहीं है। अतः हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

कोटा

स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किए जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बूंदी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 164/सीलिंग/2008 बउनवान सरकार बनाम प्रहलाद मीणा में पारित निर्णय दिनांक 13.04.1977 सपठित निर्णय दिनांक 14.12.1976 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा